

पटना के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

आपराधिक मामला (खंड पीठ) खंड्या-708/2017

पश्चिम चंपारण जिला पुलिस थाना -बेतिया शहर काण्ड संख्या - 572/2013 से उत्पन्न
मामला।

=====

शोभा देवी पत्नी-स्वर्गीय मनमोहन पटेल निवासी-गाँव-नारायणपुर, पुलिस थाना-बगहा,
जिला-पश्चिम चंपारण ।

... .. अपीलार्थी/ओं

बनाम

बिहार राज्य

... .. प्रतिवादी/ओ

=====

के साथ

आपराधिक मामला (खंड पीठ) खंड्या-808/2017

जिला पश्चिम चंपारण, पुलिस थाना-बेतिया शहर, पुलिस थाना काण्ड संख्या - 572/2013
से उत्पन्न मामला।

=====

बाल कुंवर महतो पुत्र-स्वर्गीय हीरालाल महतो, निवासी-मोहल्ला-तीन लालटेन चौक, भोला
बाबू कॉलोनी, पुलिस थाना-बेतिया शहर , जिला-पश्चिम चंपारण ।

... .. अपीलार्थी/ओं

बनाम

बिहार राज्य

... .. प्रतिवादी/ओ

=====

के साथ

आपराधिक मामला (खंड पीठ) खंड्या-855/2017

जिला पश्चिम चंपारण पुलिस थाना - बेतिया शहर काण्ड संख्या - 572/2013 से
उत्पन्न मामला।

=====

राजा कुमार उर्फ राजा, पुत्र-रामप्रीत चौधरी गाँव-नारायणपुर, पी. एस. बगहा, जिला-पश्चिम
चंपारण का निवासी है।

... .. अपीलार्थी/ओं

बनाम

बिहार राज्य

... .. उत्तरदातागण

=====

उपस्थिति :

(आपराधिक मामला (खण्ड पीठ) संख्या-708/2017 में)

अपीलार्थी/ओं के लिए: श्री कृष्ण कांत पांडे, न्यायमित्र

राज्य के लिए: श्री सुजीत कुमार सिंह, सहायक लोक अभियोजक

(आपराधिक मामला (खण्ड पीठ) संख्या-808/2017 में)

अपीलार्थी/ओं के लिए: श्री बिमलेश कुमार पांडे, अधिवक्ता

राज्य के लिए: श्री सुजीत कुमार सिंह, सहायक लोक अभियोजक ।

(आपराधिक मामला (खण्ड पीठ) संख्या -855/2017 में)

अपीलार्थी/ओं के लिए: श्री बिमलेश कुमार पांडे, अधिवक्ता

राज्य के लिए: श्री सुजीत कुमार सिंह, सहायक लोक अभियोजक।

=====

*भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 302, 364A, 120B—अपहरण द्वारा हत्या—
परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित मामला—मृतक (सूचना देने वाले का पुत्र) ने
स्वयं अपने मित्र की पार्टी में शामिल होने के उद्देश्य से घर छोड़ दिया था और वह
सूचना देने वाले के साथ तीन दिनों तक संपर्क में था—अपहरण या हत्या की घटना*

का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है—अपीलकर्ता को किसी भी प्रकार की फिरौती के साथ गिरफ्तार नहीं किया गया और न ही उसे किसी प्रकार की माँग करते समय गिरफ्तार किया गया और न ही उस मोबाइल के साथ जिससे माँग की जा रही थी—मोबाइल फोन अपीलकर्ता से जब्त किया गया लेकिन इसकी सीडीआर (कॉल डिटेल रिकॉर्ड) जाँच के दौरान प्राप्त नहीं की गई—अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा कि अपीलकर्ता अन्य आरोपियों के संपर्क में था और उसने सूचना देने वाले से फिरौती की राशि की माँग की—जिसके मोबाइल फोन से फिरौती की माँग की गई, उस आरोपी को ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया—जिस चाकू का उपयोग मृतक की हत्या में किया गया, वह आरोपी के इशारे पर खोजा गया और यह एक कृषि क्षेत्र से खोजा गया जो सभी के लिए खुला और सुलभ है—चाकू को एफ.एस.एल (फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला) द्वारा वैज्ञानिक परीक्षण के लिए नहीं भेजा गया और न ही कृषि क्षेत्र से खोजे गए चाकू पर रक्त के धब्बे के संबंध में कोई संदर्भ है—अभियोजन पक्ष मृतक का पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहा—डॉक्टर, जिसने पोस्ट-मॉर्टम परीक्षा की थी, को भी नहीं बुलाया गया—मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र नेपाली भाषा में था, यह भी रिकॉर्ड पर नहीं था/प्रस्तुत नहीं किया गया—अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा कि पीड़ित (मृतक) की हत्या हुई है और पीड़ित (मृतक) द्वारा प्राप्त चोटों की प्रकृति और पीड़ित (मृतक) की मृत्यु का कारण, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि चाकू आरोपी के इशारे पर खोजा गया—सिर्फ इसलिए कि चाकू उसके इशारे पर खोजा गया है, यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि चाकू का उपयोग पीड़ित (मृतक) की हत्या के लिए किया गया—अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा कि पीड़ित (मृतक) का अपहरण अपीलकर्ताओं द्वारा किया गया और पीड़ित (मृतक) की हत्या की गई—अपीलकर्ताओं को प्रश्न में घटना से जोड़ने के लिए श्रृंखला गायब है और अभियोजन पक्ष ने उन परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा करने में असफल रहा जिससे यह स्थापित किया जा सके कि अपीलकर्ताओं ने अपराध किए होंगे—दोषसिद्धि का निर्णय और सजा का आदेश रद्द और निरस्त किया गया।

(पैरा 28, 31, 41, 42, 44)

(2024) 3 एससीसी 481; (2011) 11 एससीसी 724; (2023) 6 एससीसी 399; (2024) 8 एससीसी 149—निर्भर किया गया।

अपराधी परीक्षण—परिस्थितिजन्य साक्ष्य—कुछ विशेषताएँ हैं जिन्हें पूरा किया जाना आवश्यक है, अर्थात्, परिस्थितियाँ जिनसे दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है 'होनी चाहिए' या 'होनी चाहिए' और केवल 'हो सकती हैं' नहीं, पूरी तरह से स्थापित होनी चाहिए—स्थापित तथ्य केवल आरोपी के दोष के परिकल्पना के साथ संगत होने चाहिए, अर्थात्, यह कहना चाहिए कि उन्हें किसी अन्य परिकल्पना पर समझाया नहीं जा सकता सिवाय इसके कि आरोपी दोषी है—साक्ष्य की एक श्रृंखला होनी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि आरोपी की निर्दोषता के साथ संगत निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़े और यह दिखाना चाहिए कि सभी मानव संभावनाओं में यह कार्य आरोपी द्वारा किया गया होगा।

(पैरा 38)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872—धारा 27—पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज आरोपी का बयान, धारा 27 अधिनियम, 1872 के तहत, मूल रूप से आरोपी का एक स्वीकारोक्ति ज्ञापन है जिसे पूछताछ के दौरान जाँच अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया है, जिसे लिखित रूप में लिया गया है—ऐसे बयान का स्वीकारोक्ति भाग स्वीकार्य नहीं है और केवल वह भाग जो स्पष्ट रूप से तथ्य की खोज की ओर ले जाता है, साक्ष्य में स्वीकार्य है, इसलिए, जब जाँच अधिकारी गवाह के बक्से में ऐसे खुलासे के बयान को साबित करने के लिए कदम रखते हैं, तो उन्हें यह बताने की आवश्यकता होगी कि आरोपी ने उन्हें क्या कहा, इस प्रकार जाँच अधिकारी मूल रूप से उस बातचीत के बारे में गवाही देता है जो उसके और आरोपी के बीच हुई थी, जिसे लिखित रूप में लिया गया था, जो आरोपित तथ्य की खोज की ओर ले जाता है।

(पैरा 40)

अपराधी परीक्षण—पुनर्प्राप्त वस्तु—आरोपी के खुलासे पर भौतिक वस्तु की खोज का महत्व, ऐसा खुलासा अपने आप में यह निष्कर्ष नहीं निकालता कि अपराध भी आरोपी द्वारा किया गया था—इसके बाद, अभियोजन पर यह साबित करने की जिम्मेदारी होती है कि भौतिक वस्तुओं की खोज और अपराध के निष्पादन में उनके उपयोग के बीच एक निकट संबंध है।

(पैरा 40.1)

=====

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

गणपूर्ति : माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार पांडे

मौखिक निर्णय।

(प्रति: माननीय न्यायाधीश श्री विपुल एम. पंचोली)

तारीख: 30-01-2025

ये सभी अपीलें 2013 के बेतिया शहर पुलिस थाना कांड संख्या 572 (2013 का जी. आर. नंबर 3979) से उत्पन्न होने वाले 2014 के सेशन विचरण नंबर 59 में बेतिया में विद्वान 6 वें अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, पश्चिम चंपारण द्वारा पारित दोषसिद्धि के उभयनिष्ठ आक्षेपित फैसले और सजा के आदेश से उत्पन्न होती हैं। ये सभी अपील दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद 'संहिता' के रूप में संदर्भित) की धारा 374 (2) के तहत दायर की गई है, जिसके तहत संबंधित निचली अदालत ने वर्तमान अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 364 ए, 120 बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया है और उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि के लिए कठोर आजीवन कारावास और 10,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा 364 ए के तहत दोषसिद्धि के लिए कठोर आजीवन कारावास की सजा और 10,000/- रुपये का जुर्माना और भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी के तहत दोषसिद्धि के लिए कठोर आजीवन कारावास की सजा और 10,000/- रुपये का जुर्माना और जुर्माने के भुगतान में चूक के मामले में, अपीलार्थियों की संपत्ति से इसकी वसूली की जाएगी।

1.1. चूँकि ये सभी अपीलें उभयनिष्ठ निर्णय और आदेश से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए उनकी एक साथ सुनवाई की गई है और इस उभयनिष्ठ निर्णय द्वारा उनका निपटारा किया जा रहा है।

तथ्यात्मक आव्यूह :

2. अभियोजन पक्ष की कहानी, संक्षेप में, इस प्रकार हैः.

2.1. सूचक ने अपने फर्दबयान में बताया है कि उसका पुत्र रंजीत कुमार दिनांक 25.08.2013 को अपने मित्र की पार्टी में जाने की बात कह कर घर से निकला था। दिनांक 26.08.2013 को उसने अपने मोबाइल नम्बर पर बात की थी। उसने कहा था कि वह कल घर आ जायेगा। दिनांक 27.08.2013 को जब उसने पुनः बात की तो उसने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वह दिनांक 28.08.2013 को शाम तक घर आ जायेगा। दिनांक 28.08.2013 को दोपहर 02:00 बजे के बाद उसका मोबाइल नम्बर बंद हो गया। वह मोबाइल नम्बर 9006285020 पर बात करने के बाद पार्टी में चला गया। दिनांक 30.08.2013 को पुनः 13 बार प्रयास करने के बाद उसने अपने मोबाइल नम्बर 7277641828 पर सम्पर्क किया, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति ने फोन उठाया। उन्होंने उससे अपने बेटे से बात करने को कहा, जिस पर उसने कहा कि उसने उसके बेटे का अपहरण कर लिया है और अगर वे उसके बेटे को सही सलामत वापस लाना चाहते हैं तो वह 3 लाख रुपए तैयार रखें और वह उसे भेजने की जगह बता देगा। इसी बीच बगहा के एटीएम से 27.08.2013 और 29.08.2013 को क्रमशः 2,000/- और 5,000/- रुपए निकल गए। उसे डर था कि उसके बेटे के साथ कोई अनहोनी हो गई है या उसका अपहरण हो गया है।

2.2. प्रथम सूचना प्रतिवेदन के पंजीकरण के बाद, जांच अधिकारी ने जांच शुरू की और जांच के दौरान, उन्होंने गवाहों के बयान दर्ज किए और उसके बाद संबंधित दंडाधिकारी अदालत के समक्ष अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। चूँकि मामला विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य था, इसलिए विद्वान दंडाधिकारी ने इसे सत्र न्यायालय को सौंप दिया, जहां इसे 2014 के सत्र विचारण संख्या 59 के रूप में दर्ज किया गया।

2.3. निचली अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित 16 गवाहों से पूछताछ की थीः.

अभियोजन पक्ष का गवाह संख्या -1	कन्हैया साह
--------------------------------	-------------

अभियोजन पक्ष का गवाह संख्या -2	सुशीला देवी
अभियोजन पक्ष का गवाह संख्या -3	नेहा कुमारी
अभियोजन पक्ष का गवाह संख्या -4	सुरेश साह
अभियोजन पक्ष का गवाह संख्या -5	पूजा कुमारी
अभियोजन पक्ष का गवाह संख्या -6	सुबोध साह
अभियोजन पक्ष का गवाह संख्या -7	महेश प्रसाद यादव
अभियोजन पक्ष का गवाह संख्या -8	ओम प्रकाश चौहान
अभियोजन पक्ष का गवाह संख्या -9	अनिल राम
अभियोजन पक्ष का गवाह संख्या -10	कामेश्वर प्रसाद
अभियोजन पक्ष का गवाह संख्या -11	विमलेंद्र कुमार
अभियोजन पक्ष का गवाह संख्या -12	नरेंद्र कुमार
अभियोजन पक्ष का गवाह संख्या -13	राजेंद्र कुमार पांडे
अभियोजन पक्ष का गवाह संख्या -14	अभय कुमार
अभियोजन पक्ष का गवाह संख्या -15	नवल किशोर सिंह
अभियोजन पक्ष का गवाह संख्या -16	श्रीकांत राम

3. आगे बढ़ने से पहले, इस स्तर पर यह देखना उचित है कि विद्वान वकील, जिन्होंने अपीलकर्ता की ओर से *वकालतनामा* दायर किया था, मामले में उपस्थित नहीं हो रहे हैं और जब मामला सुनवाई हेतु लिया गया तो वे उपस्थित नहीं थे। इसके अलावा, मामले को समय-समय पर स्थगित कर दिया गया था। हालांकि, वर्तमान अपील में अपीलकर्ता शोभा देवी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। वर्तमान अपील वर्ष 2017 से लंबित है और अपीलकर्ता-महिला आरोपी लंबे समय से हिरासत में है। इसलिए, हमने श्री कृष्णकांत पांडे से न्यायालय की सहायता करने का अनुरोध किया और उनकी सहमति से उन्हें *एमिकस क्यूरी* नियुक्त किया गया।

3.1 2017 की आपराधिक अपील (खण्ड पीठ) संख्या 708 में, हमने अपीलार्थी की ओर से *न्यायालय मित्र* श्री कृष्ण कांत पांडे और उत्तरवादी -राज्य की ओर से सहायक लोक अभियोजक श्री सुजीत कुमार सिंह को सुना है।

3.2. 2017 की आपराधिक अपील (खण्ड पीठ) संख्या 808 में, हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री बिमलेश कुमार पांडे और उत्तरवादी -राज्य के विद्वान सहायक लोक अभियोजक श्री सुजीत कुमार सिंह को सुना है।

3.3. 2017 की आपराधिक अपील (खण्ड पीठ) संख्या 855 में, हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री बिमलेश कुमार पांडे और उत्तरवादी -राज्य के विद्वान सहायक लोक अभियोजक श्री सुजीत कुमार सिंह को सुना है।

अपीलकर्ताओं की ओर से दलील :-

4. संबंधित अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता मुख्य रूप से यह दलील करते हैं कि वर्तमान मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य का है और विचाराधीन घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है। अभियोजन पक्ष परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा करने में विफल रहा है, जिससे यह स्थापित किया जा सके कि अपीलकर्ताओं ने कथित अपराध किए हैं, जिसके बावजूद, विचरण कोर्ट ने विवादित निर्णय और आदेश पारित किया है। विद्वान अधिवक्ता ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान और अन्य दस्तावेजी साक्ष्य का उल्लेख किया है। इसके बाद, यह समर्पित किया गया है कि, सूचक के मामले के अनुसार, उसका बेटा (पीड़ित) 25.08.2013 को अपने एक दोस्त द्वारा आयोजित पार्टी में भाग लेने के लिए अपना घर छोड़ गया और उसके बाद कुछ दिनों तक अपने परिवार के सदस्यों के साथ टेलीफोन पर संपर्क में रहा। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि पीड़ित को अभियुक्तों द्वारा अपहरण कर लिया गया था और वास्तव में, वह अपने घर से खुद ही चला गया था। इस स्तर पर विद्वान वकील ने दलील दी है कि वर्तमान मामले में पीड़िता का शव बरामद नहीं हुआ है और न ही पीड़िता की *पोस्टमार्टम* रिपोर्ट रिकॉर्ड में लाई गई है। इसके अलावा, पीड़िता का मृत्यु प्रमाण पत्र भी विधिवत साबित नहीं हुआ है। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष पीड़िता की मृत्यु और उसकी मौत के कारण को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है।

5. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि अभियोक्ता-1 ने बताया है कि पुलिस ने बाल कुंवर महतो को बजाज एजेंसी के पीछे तीन लालटेन चौक पर पकड़ा। हालांकि,

अभियोक्ता (अभियोक्ता-4) ने एक अलग ही कहानी बताई है और कहा है कि वह अपहरणकर्ताओं के बुलाने पर पुलिस के साथ तीन लालटेन चौक पर गया था, लेकिन अपहरणकर्ताओं ने फोन करके कहा कि उक्त स्थान पर भीड़ है और उसे सागर पोखरा के पास शिव मंदिर आने को कहा। इसके अलावा, जब अभियोक्ता और अन्य सागर पोखरा पहुंचे, तो उन्होंने फिर से कार्यक्रम रद्द कर दिया और उन्हें भोला बाबू कॉलोनी में बुलाया और फिर से अपहरणकर्ताओं ने सूचक को कॉलोनी के पीछे झाड़ी में बुलाया, लेकिन प्रशासन ने सूचक को रोक दिया और पुलिस ने आगे बढ़कर बाल कुंवर महतो नामक एक व्यक्ति को पकड़ लिया और वहां से दो व्यक्ति भागने में सफल रहे। विद्वान वकील ने आगे कहा कि पी.डब्ल्यू.-11 ने न्यायालय के समक्ष यह बयान दिया है कि उसने आरोपी बाल कुंवर महतो को भोला बाबू चौक पर पकड़ा था, जो फिरौती लेने आया था। इसलिए, विद्वान वकील ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष के गवाह इस बात के बारे में भी सुसंगत नहीं हैं कि अपीलकर्ता बाल कुंवर महतो को पुलिस ने कहां से पकड़ा है। आगे यह भी कहा गया कि जहां तक अपीलकर्ता बाल कुंवर महतो का सवाल है, अभियोजन पक्ष ने अन्य सह-आरोपियों के साथ उसकी संलिप्तता को जोड़ने वाला कोई सबूत नहीं पेश किया है। अपीलकर्ता द्वारा अन्य आरोपियों, पीड़ित या सूचना देने वाले को कोई टेलीफोन कॉल नहीं किया गया है। उसके द्वारा कोई मांग नहीं की गई थी और वास्तव में, उसे पेशाब करते समय उसके घर से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर पकड़ा गया था। आगे यह भी कहा गया है कि संहिता की धारा 313 के तहत बयान देते समय अपीलकर्ता बाल कुंवर महतो ने विशेष रूप से उपरोक्त पहलू के बारे में बताया है।

6. इसके बाद विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जहां तक अपीलकर्ता राजा कुमार उर्फ राजा का संबंध है, जांच एजेंसी ने शुरू में उसे गवाह बनाया था और उक्त अपीलकर्ता का बयान संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज किया गया था। उक्त बयान में, उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि मनमोहन पटेल उर्फ सोहन पटेल रविवार को रंजीत के साथ उसके घर आया था और खाना खाया था और उसके बाद सोहन, रंजीत और शोभा एक ही कमरे में सो गए थे और अगली सुबह वे वापस आ गए थे। उसने आगे कहा है कि मनमोहन पटेल उर्फ सोहन पटेल ने रंजीत को अपने दोस्त के रूप में पेश किया था। यह प्रस्तुत किया गया है कि उक्त बयान में, उक्त अपीलकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसे रंजीत के अपहरण के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। इस स्तर पर, यह भी प्रस्तुत किया गया है कि उसके बाद अपीलकर्ता राजा कुमार उर्फ राजा को एक आरोपी के रूप में

फंसाया गया था और उसके बाद, आरोपी के इकबालिया बयान के आधार पर, यह आरोप लगाया गया है कि एक कृषि क्षेत्र से एक चाकू बरामद किया गया है जो सभी के लिए खुला और सुलभ है। आगे यह भी कहा गया है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में भी विफल रहा है कि अपीलकर्ता राजा के कहने पर बरामद किया गया उक्त चाकू पीड़ित की हत्या के लिए इस्तेमाल किया गया था और अपीलकर्ता ने ही पीड़ित की हत्या की थी। आगे यह भी कहा गया है कि उक्त चाकू को आवश्यक विश्लेषण के लिए एफ.एस.एल. में नहीं भेजा गया था और न ही चाकू पर मृतक के खून के धब्बे साबित किए जा सके। इस स्तर पर, यह भी तर्क दिया गया है कि यह असंभव है कि आरोपी व्यक्तियों ने तथाकथित घटना को अंजाम देने के बाद सौ किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करके भारत-नेपाल सीमा पार करने के बाद चाकू को नेपाल से बगहा (पश्चिम चंपारण) वापस ले जाने का जोखिम उठाया होगा। इसलिए, विद्वान वकील ने आग्रह किया कि उक्त अपीलकर्ता को भी प्रश्नगत घटना में झूठा फंसाया गया है।

7. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि कोई भी सी.डी.आर. साबित नहीं हुआ है कि अपीलकर्ता कथित घटना में शामिल हैं और अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान में बहुत बड़ा विरोधाभास है। यह भी कहा गया है कि पी.डब्ल्यू.-7 (जांच अधिकारी) ने बयान दिया है कि आरोपी प्रमोद चौधरी के मोबाइल से फिरौती मांगी गई थी, जिसका सिम नंबर 9939975553 है। हालांकि, सह-अभियुक्त प्रमोद चौधरी को विचरण कोर्ट ने बरी कर दिया है, क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी(4) में निहित प्रावधानों के मद्देनजर अभियोजन पक्ष द्वारा कोई कॉल डिटेल रिपोर्ट कानूनी रूप से साबित नहीं की गई है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि किसी भी पुलिस अधिकारी ने घटना के संबंध में किसी भी अपीलकर्ता के कबूलनामे के बारे में नहीं बताया है जिसमें पीड़ित की हत्या और फिरौती की मांग करने का आरोप। इसलिए, विद्वान वकील ने आग्रह किया कि अभियोजन पक्ष वर्तमान अपीलकर्ताओं के खिलाफ उचित संदेह से परे मामला साबित करने में विफल रहा है, जिसके बावजूद, विचरण कोर्ट ने सजा का आदेश दर्ज किया है और इसलिए, इसे रद्द करने और अलग रखने की आवश्यकता है।

8. विद्वान अधिवक्ता श्री बिमलेश कुमार पांडे अपीलार्थियों की ओर से पेश होते हुए उन्होंने अपनी दलीलों के समर्थन में निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया हैः.

(i) राजा नायकर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, (2024) 3 सर्वोच्च न्यायालय के मामले 481 में प्रतिवेदित किया गया।

(ii) मुस्तकीम उर्फ सिराजुद्दीन बनाम राजस्थान राज्य, (2011) 11 सर्वोच्च न्यायालय के मामले 724 में प्रतिवेदित किया गया।

(iii) लक्ष्मण प्रसाद उर्फ लक्ष्मण बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2023) 6 सर्वोच्च न्यायालय के मामले 399 में प्रतिवेदित किया गया।

(iv) बाबू साहेबगौड़ा रुद्रगौदर और अन्य। बनाम कर्नाटक राज्य, (2024) 8 सर्वोच्च न्यायालय के मामले 149 में प्रतिवेदित किया गया।

9. अपीलार्थी शोभा देवी (2017 की आपराधिक अपील (खण्ड पीठ) संख्या 708 में) की ओर से पेश हुए विद्वान *न्यायमित्र* ने भी दो अन्य अपीलों में पेश होने वाले विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचार की गई दलीलों का समर्थन किया है। हालाँकि, इसके अलावा, विद्वान वकील तर्क देंगे कि जहाँ तक अपीलार्थी शोभा देवी का संबंध है, उन्हें केवल के कारण फंसाया गया है। वह एक आरोपी मनमोहन पटेल उर्फ सोहन पटेल की पत्नी हैं। यह तर्क दिया जाता है कि उक्त सह-अभियुक्त मनमोहन पटेल की मुकदमे के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई थी। उन्होंने यह भी समर्पित किया है कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी शोभा देवी को विचाराधीन घटना से जोड़ने में विफल रहा है और अपीलार्थी द्वारा पीड़ित के अपहरण के संबंध में कोई सबूत नहीं है और न ही अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में कोई सबूत है जिसके द्वारा यह साबित किया जा सके कि अपीलार्थी शोभा देवी ने नेपाल में मृतक की हत्या की थी। इसलिए विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि अपीलार्थी शोभा देवी द्वारा दायर अपील को आक्षेपित फैसले को रद्द करके और खारिज करके अनुमति दी जाए।

राज्य की ओर से दलीलें:-

10. दूसरी ओर, विद्वान ए.पी.पी. ने वर्तमान अपीलों का विरोध किया है। विद्वान ए.पी.पी. ने दलील दी है कि यद्यपि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है, अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों के विरुद्ध संदेह से परे मामला साबित कर दिया है। विद्वान ए.पी.पी. ने दलील दी है कि यद्यपि शुरू में पीड़ित स्वेच्छा से घर से निकला था। इसके बाद आरोपी ने उसका अपहरण कर लिया और पीड़ित के परिवार के

सदस्यों को फोन करके फिरौती की मांग की। आगे दलील दी गई है कि अपीलकर्ता बाल कुंवर महतो को पुलिस ने पकड़ लिया और दो अन्य आरोपी मौके से भाग गए। आगे दलील दी गई है कि जहां तक अपीलकर्ता राजा कुमार उर्फ राजा का सवाल है, शुरू में उसेको गवाह के रूप में पेश किया गया और उसका बयान धारा 164 के तहत दर्ज किया गया, उसके बाद यह पता चला कि वह भी विचाराधीन घटना में शामिल है और इसलिए, आरोपी के इकबालिया बयान के आधार पर, उसे गिरफ्तार किया गया और उसके बाद अपराध करने में इस्तेमाल किया गया चाकू उक्त अपीलकर्ता की निशानदेही पर बरामद किया गया। इस प्रकार, जब चाकू बरामद किया गया, तो अभियोजन पक्ष ने साबित कर दिया कि अपीलकर्ता अन्य आरोपियों के साथ कथित अपराध करने में शामिल रहा है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि जहां तक अपीलकर्ता शोभा देवी का संबंध है, वह अन्य सह-आरोपी मनमोहन पटेल उर्फ सोहन पटेल की पत्नी है। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए पर्याप्त साक्ष्य हैं, जिनसे यह स्थापित किया जा सकता है कि मनमोहन पटेल उर्फ सोहन पटेल ने कथित अपराध किया है। हालांकि, मुकदमे के लंबित रहने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। वर्तमान अपीलकर्ता शोभा देवी भी अपने पति के साथ कथित अपराधों में शामिल है, इसलिए विचरण न्यायालय ने विवादित निर्णय और सजा का आदेश पारित करते समय कोई गलती नहीं की है। इसलिए विद्वान ए.पी.पी. ने आग्रह किया कि इन सभी अपीलों को खारिज कर दिया जाए।

अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान के संबंध में चर्चा:-

11. अभियोक्ता-1 कन्हैया साह ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि सूचक सुरेश साह उनके चाचा हैं। वे थाना जाकर अपना बयान दर्ज कराया तथा उनके चाचा ने मामला दर्ज कराया। उन्होंने आगे कहा है कि मोबाइल का लोकेशन नरकटियागंज में मिला था। जब पुलिस निरीक्षक ने पूछा कि क्या उनका कोई रिश्तेदार वहां है, तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया। नरकटियागंज से कोई नहीं पकड़ा गया। आरोपियों ने फोन पर कहा कि वे रंजीत से तभी बात करने देंगे, जब वे उसके खाते में 20,000/- रुपए जमा कर देंगे। उन्होंने रंजीत के खाते में 20,000/- रुपए जमा कर दिए। रंजीत के पास एटीएम कार्ड था और आरोपियों ने एटीएम कार्ड से तीन किस्तों में पैसे निकाले। बाद में पुलिस ने शोभा देवी, प्रमोद चौधरी और राजा नामक तीन आरोपियों को पकड़ा। पुलिस पूछताछ के बाद राजा को छोड़ दिया गया। जब आरोपियों ने पैसे के लिए दोबारा फोन किया तो वे तीन लालटेन चौक स्थित बजाज एजेंसी के पीछे पैसे देने चले गए। पुलिस

भी सिविल ड्रेस में उनके साथ वहां गई। पैसे देते समय पुलिस ने बाल कुंवर महतो को पकड़ लिया। बाल कुंवर ने बताया कि मनमोहन, राजा और नंदकिशोर भाग गए। बाद में राजा और एक अन्य आरोपी मनमोहन को पुलिस ने पकड़ लिया। मनमोहन ने बताया कि उसे (पीड़ित को) बगहा से बीरगंज ले जाया गया और मेडिकल कॉलेज के पीछे उसकी हत्या कर दी गई। मनमोहन के पास से तीन चाकू, दो मोबाइल फोन और एक सिम कार्ड बरामद किया गया। सूचना मिलने पर वे डीएसपी के साथ बीरगंज गए। बीरगंज थाने में उन्हें रंजीत का फोटो, कपड़े, टोपी और तीन लोगों की चप्पल दिखाई गई।

11.1. अपनी जिरह में उसने बताया है कि घटना के चार दिन बाद पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया था। उसका बयान अपहरण के चार दिन बाद दर्ज किया गया था।

12. पी.डब्ल्यू.-2 सुशीला देवी मृतक की मां हैं। उसने अपनी मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि उसका बेटा रंजीत कुमार यह कहकर घर से निकला था कि वह किसी दोस्त की पार्टी में जा रहा है। उसने शाम को फोन पर बताया था कि वह रात को घर आ जाएगा। उसका बेटा रात को घर नहीं आया। फिर सुबह जब उसके पति ने उसके बेटे के मोबाइल पर फोन किया तो उसने कहा कि अगर वह सुबह 10:00 बजे तक नहीं आया तो शाम तक आ जाएगा। उसका बेटा शाम को भी नहीं आया। तीसरे दिन जब उसने फोन किया तो उसने बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और पेट में दर्द है। जब उसने दवा के बारे में पूछा तो उसने हां में जवाब दिया कि उसने दवा ले ली है और शाम तक आ जाएगा, लेकिन वह नहीं आया। फिर जब उसने फोन किया तो उसके बेटे का मोबाइल बंद था। चौथे दिन जब उसने फिर फोन किया तो किसी और ने फोन उठाया और कहा कि अगर वे चाहते हैं कि बेटा सही सलामत रहे तो उसे 3 लाख रुपए फिरौती के तौर पर दे दें और वह बेटे को छोड़ देगा। जब उन्होंने पूछा कि पैसे कहां से लाएं तो उसने कहा कि वह उन्हें बताएगा कि पैसे कहां से लाएं। पहले तो उसने फोन करके कहा कि पैसे नरकटियागंज लेकर आ जाओ। पैसे लेकर उसके पति और देवर का बेटा नरकटियागंज चले गए। फोन आया और कहा कि पैसे लेकर वापस आ जाओ, क्योंकि एक आदमी उनका पीछा कर रहा है। वह फिर जगह और समय के बारे में बतायेगे। इस तरह अपहरणकर्ता हर दो-चार दिन में फोन करके उन्हें कहीं बुलाता और बिना पैसे लिए वापस भेज देता। जब उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी तो छापेमारी शुरू हुई और इसी

दौरान बगहा जेल के पीछे से शोभा देवी और प्रमोद चौधरी को पकड़ा गया। एक आरोपी को तीन लालटेन से पकड़ा गया। उसका बेटा नहीं मिला। राजा को भी पुलिस ने पकड़ लिया। जब मनमोहन पटेल और राजा को पकड़ा गया तो उन्होंने बयान दिया कि वे लड़के को बीरगंज ले गए और मेडिकल कॉलेज के पीछे उसकी हत्या कर दी। चाकू बरामद कर लिया गया।

12.1. जिरह में उसने बताया कि उसके बेटे के चले जाने के बाद जब भी अपहरणकर्ताओं का फोन आता था तो वह और उसका पति दोनों ही उनसे बात करते थे। अपहरणकर्ताओं ने उससे 2-3 बार बात की थी। साथ ही उसने बताया कि पुलिस ने उसका बयान लिया। उसने पुलिस को बताया कि अपहरणकर्ताओं का फोन भी उसे तीन बार आया था और उन्होंने फिरौती की मांग की थी। उसने पुलिस को यह भी बताया कि अपहरणकर्ता उन्हें अलग-अलग जगहों पर फोन करके बिना पैसे लिए वापस भेज देते थे। उसके पति ने पुलिस को सूचना दी थी और वह भी उसके साथ गई थी। प्रमोद चौधरी को बगहा जेल के पीछे से गिरफ्तार किया गया। इसकी जानकारी प्रशासन को थी। जब वे पटना उच्च न्यायालय सीआर. एपीपी (डीबी) संख्या 708/2017 दिनांक 30-01-2025 16/51 के तहत थाने गए तो पुलिस ने उन्हें इसकी जानकारी दी। बाल कुंवर के पकड़े जाने पर उसने रणजीत की हत्या की बात बताई। उसने पुलिस को वह नंबर दिया जिससे अपहरणकर्ता फोन करते थे। उसने यह जानकारी 5-7 दिन में ही पुलिस को दे दी थी। उसने मनमोहन और प्रमोद से फोन पर बात की थी। उसने आगे बताया कि अपहरणकर्ताओं के फोन पर वह और उसका पति एक महीने तक इधर-उधर घूमते रहे। आरोपियों की उसके बेटे से कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी। उसने आगे बताया कि उसे याद नहीं है कि ट्रैवल एजेंट इकबाल को कितने पैसे दिए गए थे। पति-पत्नी दोनों को ही रणजीत की हत्या की सूचना थाने में मिली थी। उसने इस बात से इंकार किया है कि उसके बेटे रणजीत के सभी दुश्मन थे और उसे विदेश ले जाने के लिए पैसे के लेन-देन को लेकर कुछ लोगों से विवाद हुआ था जिसके चलते रणजीत कहीं गायब हो गया और यह नहीं कहा जा सकता कि रणजीत की हत्या हुई है और उसने पुलिस को गुमराह करके आरोपियों के गलत नाम बताए हैं।

13. पीडब्लू-3 नेहा कुमारी ने अपने मुख्य परीक्षण में बताया है कि घटना दिनांक 25.08.2013 की है। उसने आगे बताया कि पुलिस ने पैसे के लेन-देन के दौरान तीन लालटेन चौक के पास से एक आरोपी को पकड़ा। उसने अपना नाम बाल कुंवर महतो

बताया। भागने वालों का नाम मनमोहन और राजा बताया। फिर उसने उन्हें बगहा बुलाया और पैसे लेकर नरकटियागंज लाया, लेकिन पुलिस उनके पीछे लगी होने के कारण उन्हें वापस आने को कहा। पुलिस ने छापा मारकर बगहा से शोभा देवी और प्रमोद चौधरी को पकड़ा। अन्य लोग भाग गए। बाद में मनमोहन और राजा को पकड़ा गया। शोभा देवी और प्रमोद के पास एटीएम पिन और मोबाइल भी था। मनमोहन और राजा ने बताया कि उन्होंने बीरगंज में मेडिकल कॉलेज के पीछे अपने बेटे की हत्या कर दी है। जब पुलिस ने उसके पिता को बताया तो वह बीरगंज पुलिस के पास गए। वहां उसके बड़े भाई के कपड़े और चप्पल मिले, जिन्हें उसके पिता ने पहचाना।

13.1. अपनी जिरह में उसने कहा है कि पुलिस ने उसका बयान लिया, जो उसने घटना के 8-9 दिन बाद दिया। उसने यह भी कहा कि जब पुलिस ने छापा मारा, तो शोभा देवी और प्रमोद चौधरी पकड़े गए। उसने यह भी कहा कि मनमोहन और राजा भी पकड़े गए। उसने अपने बयान में कहा कि आरोपियों के पास से एटीएम, पैन कार्ड और मोबाइल बरामद किया गया। उसने यह भी कहा कि मनमोहन और राजा ने उन्हें बताया कि उन्होंने बीरगंज में मेडिकल कॉलेज के पीछे उनके बेटे की हत्या कर दी है। उसने यह भी कहा कि जब पुलिस ने उसके पिता को सूचित किया, तो वह बीरगंज पुलिस स्टेशन गए, जहां उसके भाई के कपड़े और चप्पल मिले, जिन्हें उसके पिता ने पहचाना। वह अपने भाई के दोस्तों को जानती थी, लेकिन उनके नाम याद नहीं हैं। उसके 4-5 दोस्त थे जो उसके घर आते थे। उसके बड़े भाई ने उसे उस दोस्त का नाम नहीं बताया जिसके घर वह पार्टी में शामिल होने जा रहा था। उसके पिता ने उसके बड़े भाई से फोन पर बात की थी। जब उसका बड़ा भाई दो दिन तक नहीं आया तो उसने अपने पिता से यह नहीं पूछा कि उसका बड़ा भाई किस दोस्त के घर गया है। उसे नहीं पता था कि दोस्त कहां से हैं। उसके पिता ने उसे यह नहीं बताया कि उसका बड़ा भाई किस दोस्त के घर गया है। उसने इस बात से भी इनकार किया है कि उसके भाई के कई दुश्मन थे और उसका भाई एक अपराधी किस्म का था और इसीलिए उसने घर पर भी नहीं बताया कि वह किसके घर जा रहा है।

14. पीडब्लू-4 सुरेश साह इस मामले का सूचक है। उन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि रंजीत कुमार उनका पुत्र है। घटना दिनांक 25.08.2013 को हुई जब रंजीत यह कहकर घर से निकला कि वह किसी मित्र की पार्टी में जा रहा है तथा शाम तक वापस आ जाएगा। जब वह शाम तक वापस नहीं आया तो उन्होंने उसे फोन किया

तो उसके पुत्र ने कहा कि वह अगले दिन सुबह 10:00 बजे वापस आ जाएगा। दिनांक 26.08.2013 को दोपहर 01:00 बजे जब वह खाना खाने के लिए घर आया तो उसका पुत्र तब तक वापस नहीं आया था। उसने उसे दोबारा फोन किया तो उसके पुत्र ने कहा कि वह शाम तक वापस आ जाएगा। जब वह शाम को घर आया तो उसने फोन पर कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है तथा वह अगले दिन सुबह 10 बजे तक वापस आ जाएगा। जब उसका पुत्र 27.08.2013 तक नहीं आया तो उसने उसे दोबारा फोन किया जिस पर उसके पुत्र ने कहा कि वह शाम तक वापस आ जाएगा। जवाब दिया कि वह 28.08.2013 को सुबह 10:00 बजे तक आ जाएगा। वह नहीं आया। पटना उच्च न्यायालय सीआर. एपीपी (डीबी) संख्या 708/2017 दिनांक 30-01-2025 19/51 सुबह 10:00 बजे तक और जब वह दोपहर में भोजन करने आया, तो उसने अपने बेटे को फिर से फोन किया और उसने कहा कि वह शाम तक आएगा। वह 28.08.2013 को शाम तक नहीं आया और जब उसने उसे फोन किया, तो उसका मोबाइल बंद था। 29.08.2013 को, जब उसने पूरे दिन उसे फोन करने की कोशिश की, तो उसका मोबाइल बंद था। लगातार प्रयासों के बाद 30.08.2013 को सुबह 08:00-08:15 बजे उसके बेटे का फोन बजा लेकिन किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन उठाया और कहा कि उसने उसके बेटे का अपहरण कर लिया है और अगर वह अपने बेटे की सलामती चाहता है तो उसे 3 लाख रुपए की फिरौती देनी होगी। इसके बाद उसने अपने बेटे से बात करवाने की गुहार लगाई जिस पर अपहरणकर्ता ने उसे नकारते हुए कहा कि वह उसके बेटे से बात नहीं कर पाएगा और उसका बेटा सुरक्षित जगह पर है और वहां कोई नेटवर्क काम नहीं करता। इसके बाद अपहरणकर्ता ने कहा कि वह अगले दिन उसे उसके बेटे से बात करवा देगा बशर्ते कि उसे 3 लाख रुपए लेकर आना पड़े। इसके अलावा अपहरणकर्ता ने उससे कहा कि वह पैसे तैयार करके रखे और वह उसे जगह बता देगा। 01.09.2013 को उसने थाने में लिखित रिपोर्ट दी जिसके बाद पुलिस उसके घर आई और उसका बयान दर्ज किया। 02.09.2013 को अपहरणकर्ताओं ने उसे फोन करके कहा कि बेतिया रेलवे स्टेशन पर पैसे लेकर आओ और एक हाथ से पैसे दो और दूसरे हाथ से लड़के को ले जाओ। उसने पुलिस को फोन करके सारी बात बताई और पुलिस के साथ रेलवे स्टेशन गया। एक घंटे बाद अपहरणकर्ताओं ने फोन करके कहा कि घर लौट जाओ, क्योंकि वे नहीं आ सकते। उसी दिन दोपहर 02:00 बजे उन्होंने फिर फोन करके कहा कि शाम को पैसंजर ट्रेन पकड़कर गोरखपुर आ जाओ। इसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी। जब थाने के वरीय पदाधिकारी वह और उसका भतीजा कन्हैया साह ट्रेन से कुमारबाग पहुंचे तो अपहरणकर्ताओं ने उसके मोबाइल पर

फोन करके कहा कि पुलिस प्रशासन उनके साथ है, इसलिए वापस चले जाओ। इसके बाद वह वापस आ गया। अपहरणकर्ताओं ने उसके बेटे का सिम कार्ड इस्तेमाल किया था। 03.09.2013 को उसके बेटे के सिम कार्ड से फोन आया और कहा गया कि जल्द से जल्द उसके खाते में पैसे ट्रांसफर कर दो। उसका बेटा पैसे निकालकर उसे दे देगा। उसने सारी बात पुलिस को बताई। वह पैसे जमा कराने एसबीआई, बेतिया बाजार शाखा गया लेकिन बैंक बिना पैन कार्ड के 2 लाख रुपये स्वीकार नहीं कर रहा था। इसके बाद वह कालीबाग गया, जहां इंस्पेक्टर ने उसे कम से कम 20,000 रुपये खाते में जमा करने को कहा तो उसने खाते में 20,000 रुपये जमा कर दिए। फिर अपहरणकर्ताओं ने फोन किया और उसने बैंक में 20,000 रुपये जमा करने की बात बताई। जब उसने पासबुक प्रिंट कराई तो पता चला कि इन लोगों ने बगहा के एटीएम से सारे पैसे निकाल लिए हैं। बगहा एटीएम से फोटो के आधार पर अपहरणकर्ता शोभा देवी, प्रमोद चौधरी और राजा को पकड़ा गया। उसी स्थान से उसका एटीएम कार्ड, रंजीत कुमार का पैन कार्ड और रंजीत के पासपोर्ट की फोटोकॉपी, लावा मोबाइल, कपड़े, बैग और कुछ दस्तावेज बरामद किए गए, जहां से आरोपियों को पकड़ा गया था। दूसरे अपहरणकर्ता ने उसके मोबाइल पर दोबारा कॉल किया और कहा कि एक निर्दोष लड़के को छोड़ दो, जिसे पकड़ा गया है। उसने बताया है कि अपहरणकर्ता ने मोबाइल पर कहा था कि अगर उस निर्दोष को नहीं छोड़ा तो उसके बेटे की नसें काटकर फेंक देंगे। उसने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया था और फिर पुलिस प्रशासन को उक्त रिकॉर्डिंग सुनाई थी। इसके बाद एफआईआर दर्ज कराई गई। तीन-चार दिन बाद उनके बेटे के मोबाइल से फिर फोन आया कि पैसे दे दो और बेटे को तीन लालटेन चौक से ले जाओ। अपहरणकर्ताओं ने यह फोन रंजीत कुमार के फोन से किया था। इसके बाद वह थाने गए और अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग सुनाई। पुलिस ने कहा कि वे 12 बजे उनके घर आएंगे और उसे अपने साथ ले जाएंगे। वह पैसे लेकर रिक्शा पर बैठ गए। प्रशासन भी उनके साथ था। जब वे तीन लालटेन चौक पहुंचे तो अपहरणकर्ता ने रंजीत के मोबाइल से फिर फोन किया कि तीन लालटेन चौक पर काफी भीड़ है, इसलिए वे सागर पोखरा शिव मंदिर के पास आ जाएं। जब वे सागर पोखरा पहुंचे तो फिर फोन आया कि भोला बाबू की कॉलोनी में आ जाओ। वहां पहुंचे तो अपहरणकर्ताओं ने फिर फोन किया और कॉलोनी के पीछे साड़ी पहनकर आने को कहा। प्रशासन ने उन्हें वहां जाने से मना किया। पुलिस प्रशासन खुद उसके आगे-आगे चल पड़ा। वहां से बाल कुंवर महतो को पकड़ा गया और दो लोग भाग गए। बाल कुंवर ने खुद मनमोहन पटेल और एक अन्य व्यक्ति का नाम बताया जो भाग गए। पुलिस ने भागने वालों का पीछा किया लेकिन वे

पकड़े नहीं जा सके। पुलिस ने उसे सूचना देकर मुफस्सिल थाने बुलाया और डीएसपी ने उसे फोटो दिखाया जिसमें मनमोहन पटेल, शोभा देवी, राजा, प्रमोद चौधरी और बाल कुंवर दिख रहे थे। नवार ने पीड़ित को बीरगंज मेडिकल कॉलेज के पीछे ले जाकर उसकी हत्या कर दी। इसके एक दिन बाद, उसका भतीजा कन्हैया शाह बीरगंज पुलिस स्टेशन गया और उस जगह का निरीक्षण किया जहाँ उसके बेटे की हत्या की गई थी। लड़के के कपड़े, जूते और टोपी वहाँ मिले। इस मामले में, आरोपी राजा ने कहा कि खेत के बांध से एक चाकू बरामद किया गया था।

14.1 जिरह में उन्होंने बताया कि उनका बेटा रंजीत रूस में काम करता था। उनका बेटा जुलाई 2013 में विदेश से लौटा था। उसका पासपोर्ट एजेंट के जरिए बना था और वीजा भी एजेंट के जरिए ही बना था। बेटे के गायब होने के बाद उन्होंने एजेंट को इसकी सूचना नहीं दी, क्योंकि उनके बेटे को फिर से विदेश जाना था। उन्हें अपहरण की जानकारी 30 अगस्त 2013 को सुबह करीब 8 बजे मिली। उन्होंने उस दिन पुलिस को कोई सूचना नहीं दी। उन्होंने 31 अगस्त की दोपहर पुलिस को सूचना दी। उन्होंने आगे बताया कि उनके बेटे ने उन्हें यह नहीं बताया कि वह किस दोस्त की पार्टी में जा रहा है। उसने यह भी नहीं बताया कि वह कहां जा रहा है। पुलिस ने उन्हें ए.टी.एम. बूथ के सीसीटीवी फुटेज भी नहीं दिखाई। उन्होंने मृत्यु प्रमाण पत्र मिला जो नेपाली भाषा में था। पुलिस ने उन्हें बताया कि उन्होंने सी.सी.टी.वी. फुटेज के आधार पर आरोपी को पकड़ा है। उन्होंने आगे बताया कि पैसे बगहा और नरकटियागंज के ए.टी.एम. से निकाले गए थे। वे कालीबाग की मुस्कान नाम की किसी लड़की को नहीं जानते थे। उन्हें नहीं पता था कि उनके बेटे का कालीबाग की मुस्कान नाम की लड़की से प्रेम संबंध था। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि उन्हें और सुबोध को प्रेम संबंध के बारे में जानकारी थी। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया है कि मुस्कान नाम की लड़की की वजह से उनका बेटा मोतिहारी गया और वहां से चला गया।

15. पीडब्लू-5 पूजा कुमारी मृतक रंजीत कुमार की बहन है। उसने अपने मुख्य परीक्षण में बताया है कि उसका भाई रंजीत अपने दोस्त के घर पार्टी में जाने की बात कहकर घर से निकला था। वहां से वापस नहीं लौटा। दो दिन तक पिता ने उससे फोन पर बात की तो उसने कहा कि कल सुबह आ जाएगा, लेकिन वह नहीं आया। उसके बाद उसके भाई का मोबाइल बंद हो गया। उसके बाद उसके पिता ने फोन किया तो किसी अपराधी ने फोन उठाया और कहा कि उन्होंने रंजीत का अपहरण कर लिया है और 3

लाख रुपए की फिरौती चाहते हैं, नहीं तो उसे मार देंगे। उसके पिता ने थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आकर जांच शुरू की। जांच के बाद पुलिस ने बगहा से शोभा देवी और प्रमोद चौधरी को पकड़ा। वह शोभा देवी को पहले से जानती थी। क्योंकि वह कैंटोनमेंट चौक पर रहती थी। उसके पास से मोबाइल, पैन कार्ड, ए.टी.एम. कार्ड और पासपोर्ट की फोटोकॉपी बरामद की गई। फिर अपराधियों ने स्टेशन चौक पर फोन करके पैसे मांगे। उसके पिता पैसे देने गए। वे वहां पैसे नहीं ले गए। फिर उन्हें तीन लालटेन चौक पर बुलाया गया, जहां आरोपी बाल कुंवर को पकड़ लिया गया और अन्य लोग भाग गए। आरोपियों ने उन्हें नरकटियागंज भी बुलाया। आरोपी मनमोहन और राजा को भी पुलिस ने पकड़ लिया। मनमोहन ने बताया कि उन्होंने बीरगंज मेडिकल कॉलेज के पास रंजीत की हत्या की है। उसके भाई के कपड़े, जूते, टोपी आदि वहां मिले।

15.1. जिरह में उसने बताया कि उसका बयान थाने में दर्ज किया गया था। पुलिस ने रंजीत के जाने के पांच दिन बाद घर पर उसका बयान दर्ज किया।

16. पीडब्लू-6 सुबोध साह ने अपने मुख्य परीक्षण में बताया है कि रंजीत उसका मित्र था। जब वह सुरेश साह के घर गया तो पुलिस ने उससे वहां पूछताछ की। उसने बताया कि अपहरण से पहले शोभा कुमारी नाम की एक लड़की उसके मोबाइल पर फोन करती थी। उसने उससे कहा कि वह लड़की से उसकी बात करा दे। जब उसने उससे बात की और उसका नाम पूछा तो लड़की ने बताया कि उसका नाम मुस्कान है और वह इंटरमीडिएट पास है। उसने लड़की को नहीं देखा था, केवल उसका फोटो देखा था। रंजीत ने उसे फोटो दिखाया। उसने कोर्ट कटघरे में खड़ी लड़की को पहचान लिया (लड़की आरोपी शोभा देवी है)।

16.1. अपने जिरह में उन्होंने कहा है कि रंजीत के अपहरण के बाद उन्होंने रंजीत के पिता को बताया था कि वह मुस्कान नाम की लड़की से बात करता था, जिसका घर कालीबाग के पास है।

17. पीडब्लू-7 महेश प्रसाद यादव इस मामले के जांच अधिकारी हैं। उन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि 01.09.2013 को वे कालीबाग थाने में थाना प्रभारी के पद पर तैनात थे। सूचक और गवाह ने बताया कि घर से निकलने से पहले अपहृत रंजीत कुमार ने अपने मोबाइल नंबर 7277651828 से मोबाइल नंबर 9006285920 पर बात की थी। मोबाइल नंबर 9006285920 पर कॉल ट्रेस करने पर पता चला कि यह नंबर

नजमुल निशा, पोस्ट ऑफिस- मठिया, रामनगर के नाम से है। इसकी पुष्टि के लिए वे नजमुल निशा के घर गए और उसका बयान लिया, जिसमें उसने बताया कि जब उसका बेटा इस नंबर का मोबाइल लेकर जम्मू जा रहा था, तो मोबाइल ट्रेन में खो गया। अपहृत व्यक्ति के मोबाइल का सीडीआर प्राप्त करने पर पता चला कि 25.08.2013 को 12:21 बजे से 27.08.2013 को 13:23 बजे तक उसका टावर लोकेशन बगहा में था। जिस नंबर 9006285920 से अपहृत व्यक्ति के मोबाइल पर सबसे अधिक कॉल आए थे, उसका सीडीआर निकालने पर पता चला कि उसका टावर लोकेशन भी बगहा में ही था। सूचक का बयान पुनः लिया गया, जिसमें सूचनाकर्ता ने बताया कि अपने बेटे की जान बचाने के लिए और अपराधियों के डर से उसने अपने खाता संख्या 32591297578 (एसबीआई) में 20,000/- रुपये जमा किए थे, जिसे अपराधियों ने नरकटियागंज और बगहा से तीन किस्तों में एटीएम से निकाल लिया। खाता सूचक का था, जिसका एटीएम कार्ड सूचक के बेटे ने ले लिया। वह बगहा एसबीआई गया और नंबर 1667 और 1669 पाया। 30.08.2013 को मोबाइल नंबर 7765005716 पर मोबाइल नंबर 7604096106 से कई कॉल किए गए। 7654096106 का कॉल विवरण प्राप्त करने और देखने पर पता चला कि मोबाइल नंबर 32591297578 (एसबीआई) में कई कॉल किए गए थे। 9939975553. मोबाइल नं. 7765005716 का सीएएफ निकालने पर पता चला कि उक्त सिम मनमोहन सिंह, पुत्र नगीना सिंह, निवासी- बसवलिया रिफ्यूजी कॉलोनी, थाना- बेतिया का है। इस सीएएफ में उस व्यक्ति का फोटो भी मिला। जासूस को वह फोटो दिखाने पर जासूस ने बताया कि यह फोटो अपराधी मनमोहन पटेल उर्फ सोहन पटेल का है, जो पटेल नगर, बेतिया का निवासी है तथा पूर्व में अपहरण के एक मामले में गिरफ्तार हुआ था। उपरोक्त सभी सिम के टावर लोकेशन का अध्ययन करने पर पता चला कि वह बगहा में है। जासूस से संपर्क कर मनमोहन का फोटो दिखाने पर पता चला कि वह नारायणपुर मोहल्ला के पूरब बगीचाचक के पास रामप्रीत चौधरी के मकान में रह रहा है। जासूस ने यह भी बताया कि रामप्रीत चौधरी के साले आमोद चौधरी को उसके साथ देखा गया जिस के अनुसार, प्रमोद चौधरी को बगहा में गिरफ्तार किया गया और जब उसकी तलाशी ली गई, तो उसके पास से एक माइक्रोमैक्स मोबाइल बरामद हुआ, जिसमें 9939975553 नंबर का सिम कार्ड मिला। इस मोबाइल के सिम कार्ड को जब्ती सूची बनाकर जब्त कर लिया गया, जिसे प्रदर्श-2 के रूप में अंकित किया गया है। प्रमोद चौधरी ने अपना इकबालिया बयान दिया, जिसे उसने रिकॉर्ड किया और प्रदर्श-3 के रूप में अंकित किया गया। अपने इकबालिया बयान में उसने कहा था कि उसने फिरौती मांगी थी और

मनमोहन उर्फ सोहन पटेल ने एटीएम से पैसे निकाले और उससे कहा कि वह निकाले गए पैसे में से उसे 2,000/- रुपये देगा। उसने यह भी बताया कि मनमोहन उसकी बहन शीशम देवी के घर पर उससे मिलेगा। आरोपी प्रमोद चौधरी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर शीशम देवी के घर पर तलाशी व छापेमारी की गई, जहां मनमोहन उर्फ सोहन पटेल की पत्नी शोभा देवी व शीशम देवी का बेटा राजा कुमार मिले। तलाशी लेने पर राजा कुमार की जेब से एक्सटेंशन कंपनी का मोबाइल मिला, जिसका आईएमईआई नंबर 35577605209406/3 व 35577605209406/1 है, जिसमें यूनिनॉर सिम नंबर 8936049919 मिला। दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में जब्ती सूची तैयार कर उसे जब्त किया गया, जिस पर प्रदर्श-2/9 अंकित है। इसके बाद कमरे की तलाशी लेकर बरामद सामान की दो अलग-अलग जब्ती सूची तैयार की, जिस पर प्रदर्श-2/बी व 2/सी अंकित है। उन्होंने शोभा देवी का इकबालिया बयान दर्ज किया, जिसे 28/51 के तहत प्रदर्श-3/9 के रूप में अंकित किया गया। राजा कुमार का बयान धारा 164 के तहत न्यायालय में दर्ज किया गया। जांच के दौरान पाया गया कि रंजीत कुमार की हत्या अपहरणकर्ताओं ने की है। इसलिए, धारा 302 आईपीसी जोड़ने के लिए न्यायालय में आवेदन दायर किया गया। 20.09.2013 को आरोपी शोभा देवी को पुलिस रिमांड पर लिया गया और उससे प्राप्त जानकारी के आधार पर कालीबाग ओ.पी. के एस.आई. कामेश्वर प्रसाद द्वारा अपहृत व्यक्ति का मोबाइल फोन बरामद किया गया। शोभा देवी का इकबालिया बयान पुनः एसआई कामेश्वर प्रसाद द्वारा दर्ज किया गया, जिसे प्रदर्श-3/बी के रूप में अंकित किया गया।

17.1.जिरह में उसने बताया कि प्रमोद चौधरी को उसके खिलाफ सबूत मिलने के बाद गिरफ्तार किया गया। खुफिया सूत्रों ने बताया कि प्रमोद चौधरी भी मनमोहन के साथ रहता है। पैरा-17 में गवाह सुबोध ने बताया कि रंजीत कालीबाग की मुस्कान नाम की लड़की से दिन-रात बात करता था। सुबोध के बयान के बाद उसने कालीबाग में मुस्कान नाम की लड़की के बारे में पूछताछ की, लेकिन वह नहीं मिली। उसने आगे बताया कि फिरौती की मांग प्रमोद चौधरी के सिम नंबर 9939975553 से की गई थी, जिसका जिक्र केस डायरी के पैरा-40 में है। राजा कुमार का बयान धारा 164 के तहत दर्ज होने के बाद उसे रिहा कर दिया गया।

18. पी.डब्ल्यू.-8 ओम प्रकाश चौहान इस मामले के जांच अधिकारी भी हैं। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि 12.09.2013 को वे टाउन थाना, बेतिया में पदस्थापित

थे। एस.एच.ओ. विमलेन्द्र कुमार के नेतृत्व में 12.09.2013 को वे इस मामले के सिलसिले में छापेमारी दल के सदस्य के रूप में तीन लालटेन चौक, बेतिया गए थे। उस स्थान पर आरोपी बाल कुंवर ने सूचक से फिरौती की रकम लेकर आने को कहा। उन्होंने बाल कुंवर को तीन लालटेन चौक से गिरफ्तार कर लिया। उसे गिरफ्तार करने के बाद उन्होंने इस मामले के सिलसिले में भैरोगंज रेलवे स्टेशन पर छापेमारी की। उस स्थान पर आरोपी सोहन पटेल उर्फ मनमोहन पटेल को पकड़ा गया।

18.1. अपने जिरह में उन्होंने कहा है कि आरोपी बाल कुंवर को तीन लालटेन चौक 100 फीट बैंक रोड से गिरफ्तार किया गया था। बैंक रोड बेतिया का सबसे व्यस्ततम मार्ग बताया जाता है। राजा महतो को बगहा से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के समय उन्हें नहीं पता था कि जब्त मोबाइल किसके नाम पर है। वे स्वतंत्र गवाहों को अपने साथ नहीं ले गए थे। जब्ती स्वतंत्र गवाह के सामने की गई थी। उन्होंने इस तथ्य से इनकार किया है कि बाल कुंवर को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उन्हें वह असली अपराधी नहीं मिला जिसे वे गिरफ्तार करने गए थे।

19. पीडब्लू-9 अनिल राम ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि वे 01.09.2013 को शनिचरी पुलिस स्टेशन में एसएचओ के पद पर तैनात थे। वह अपनी ड्यूटी के दौरान छापेमारी में सहायता करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के आदेश पर बगहा गया था। छापेमारी दल में विमलेन्द्र कुमार और अन्य लोग शामिल थे। छापेमारी के दौरान आरोपी राजा को पकड़ लिया गया और सामान भी बरामद किया गया।

19.1. अपनी जिरह में उसने कहा है कि उसकी मौजूदगी में राजा से कोई सामान बरामद नहीं हुआ।

20. पीडब्लू--10 कामेश्वर प्रसाद दिनांक 27 मई, 2013 को कालीबाग ओ.पी. में पदस्थापित थे। उन्होंने इस कांड के अनुसंधानकर्ता के निर्देश पर महिला अभियुक्त शोभा देवी का इकबालिया बयान लिखा था, जो प्रदर्श-3/बी के रूप में अंकित है। उस इकबालिया बयान के आधार पर जब बगहा स्थित रामप्रीत चौधरी के घर पर छापेमारी की गई तो लावा कंपनी का मोबाइल बरामद हुआ, जो मृतक का ही मोबाइल था। उस समय उसमें कोई सिम कार्ड नहीं था।

20.1. अपने प्रतिपरीक्षण में उन्होंने कहा है कि इकबालिया बयान और जब्ती सूची उनके द्वारा तैयार की गई थी। उन्होंने इस तथ्य से इनकार किया है कि उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है कि रामप्रीत के घर से बरामद मोबाइल मृतक का था।

21. पीडब्लू-11 बिमलेन्द्र कुमार दिनांक 08.09.2013 को टाउन थाना, बेतिया में पदस्थापित थे। उस दिन टाउन थाना कांड संख्या 572/13 के जांच अधिकारी ने उनका बयान लिया था। उस मामले में छापेमारी में उन्होंने मदद की थी। उन्होंने बेतिया शहर, बगहा और भैरोगंज में विभिन्न लेखों के संबंध में छापेमारी की थी। उन्होंने 02.09.2013 को जांच का प्रभार संभाला था। जांच के दौरान 12.09.2013 को भोला बाबू कॉलोनी से आरोपी बाल कुंवर को गिरफ्तार किया गया था। उस दिन मृतक के पिता को मृतक के मोबाइल से फोन आया था जिसमें फिरौती की रकम लाने के लिए कहा गया था। फिरौती की रकम लेने आए आरोपी को भोला बाबू चौक के पास घेरकर गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े जाने पर उसने अपना नाम बाल कुंवर महतो बताया था। जांच के दौरान उसके पास से सिम नं. 8227084900 वाला काला व लाल रंग का मोबाइल बरामद हुआ। 15.09.2013 को एसआई ओम प्रकाश चौधरी सशस्त्र बल के साथ भैरोगंज पहुंचे और मामले के आरोपी मनमोहन पटेल उर्फ सोहन पटेल को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से सिम नं. 7277641828 वाला काला रंग का नोकिया मोबाइल सेट तथा सिम नं. 7654096106 वाला ग्रे रंग का सैमसंग मोबाइल सेट, तीन 100 रुपये के नोट, एक काले रंग का लावा चार्जर, काले व लाल रंग की चेकदार साड़ी, हरे रंग की प्रिंटेड साड़ी, गुलाबी रंग का पेटिकोट व अन्य अंतःवस्त्र, क्रीम आदि एक सफेद रंग के बैग में बरामद हुआ। उसके इकबालिया बयान के आधार पर वे बगहा के लिए रवाना हुए। इकबालिया बयान में उसने बताया था कि उसने राजा को चाकू दिया था, जिससे मृतक रंजीत की हत्या की गयी थी। इकबालिया बयान उसके हस्तलेख में है और उस पर आरोपी के हस्ताक्षर भी हैं तथा उसे प्रदर्श-3/सी के रूप में अंकित किया गया है। पटना उच्च न्यायालय सी.आर.ए.पी. (डी.बी.) संख्या 708/2017 दिनांक 30-01-2025 32/51 दिनांक 16.09.2013 को वह बगहा नारायणपुर गया तथा राजा का इंतजार करने लगा। जब राजा पहुंचा तो उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। अपने बयान में उसने बताया कि उसने हत्या करने वाले चाकू को घर से थोड़ी दूरी पर खेत की मेड़ के नीचे छिपा दिया था। आरोपी के बयान के आधार पर लोहे के हैंडल वाला लाल रंग का चाकू बरामद किया गया। इसके लिए जब्ती सूची तैयार की गई। आरोपी राजा के इकबालिया बयान को प्रदर्श-3/बी

के रूप में अंकित किया गया है। चाकू की जब्ती सूची को प्रदर्श-2/बी के रूप में अंकित किया गया है। मनमोहन पटेल उर्फ सोहन पटेल के कब्जे से बरामद वस्तुओं की जब्ती सूची जिसमें मृतक का मोबाइल सिम भी बरामद किया गया है, प्रदर्श-2/सी के रूप में अंकित है।

21.1. अपने जिरह में उन्होंने कहा है कि इस मामले में सूचक ने उन्हें तीन लालटेन चौक से मनमोहन पटेल को गिरफ्तार करने की सूचना दी थी। वे उसे गिरफ्तार करने गए थे। सूचक के बेटे के मोबाइल सिम से कॉल किया गया था और फिरौती की रकम मांगी गई थी। सूचक ने बताया कि मनमोहन पटेल ने पैसे मांगे थे। उन्होंने अपनी जांच के दौरान बाल कुंवर महतो से बरामद मोबाइल फोन आदि का विवरण प्राप्त नहीं किया। उन्होंने बाल कुंवर महतो से बरामद वस्तुओं की जब्ती सूची तैयार की थी।

22. पीडब्लू-12 नरेंद्र कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि जब्त किया गया पर्स काले रंग का था। रंग का है तथा उसके पास सोहन पटेल के नाम से पैन कार्ड, सोहन पटेल का वोटर आई.डी. कार्ड तथा धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा के नाम से कुछ दस्तावेज, शीशम देवी के नाम से वोटर आई.डी. कार्ड तथा रंजीत कुमार के नाम से ब्लड ग्रुप है।

22.1. जिरह में उसने बताया है कि इस मामले में एक लाल चाकू बरामद किया गया था। एक काले रंग का फाइल बैग मिला था, जिसमें कुछ कागजात थे। इसमें रंजीत कुमार का चालान स्लिप तथा चालान की फोटोकॉपी थी। रंजीत कुमार के पास बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के प्रभारी की फोटोकॉपी तथा एक नीले रंग की डायरी थी, जो बुलेटिन है तथा रामप्रीत चौधरी के पास से प्रमाण पत्र तथा पासपोर्ट की फोटोकॉपी बरामद की गई तथा इस पूरी फाइल पर प्रदर्श-VIII अंकित था।

23. पीडब्लू-13 राजेन्द्र कुमार पाण्डेय ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि दिनांक 10.09.2013 को वे बेतिया में न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर पदस्थापित थे। उन्होंने अपर जिला मजिस्ट्रेट, बेतिया के निर्देशानुसार धारा 164 के अन्तर्गत साक्षी राज कुमार का बयान दर्ज किया।

24. पीडब्लू-14 अभय कुमार ने अपने बयान में कहा है कि उन्होंने घटनास्थल से अभियुक्तों के कॉल डिटेल्स निकाले थे, जो सी.डी. में है। सी.डी. पर महेश प्रसाद की लिखावट है। सी.डी. पांच प्रतियों में निकाली गई।

24.1. अपने जिरह में उन्होंने कहा है कि कॉल डिटेल्स सी.डी. में है। उसे उस व्यक्ति का नाम याद नहीं है, जिसकी कॉल डिटेल्स मौजूद हैं।

25. पीडब्लू-15 नवल किशोर सिंह ने बयान दिया है कि 15.09.2013 को वह भैरोगंज रेलवे स्टेशन पर था। पुलिस ने मनमोहन पटेल नामक व्यक्ति को पकड़ा। उसके बैग में मोबाइल चार्जर और मोबाइल मिला तथा उसमें बहुत सारी चीजें थीं।

25.1. जिरह में उसने बताया है कि उसके सामने सामान बरामद हुआ। वह मोबाइल के ब्रांड के बारे में नहीं बता सकता। बैग में एक कपड़ा था। उस पर क्या लिखा था, यह वह नहीं बता सकता। उसमें दो पैंट और शर्ट थी।

26. पीडब्लू-16 श्रीकांत राम ने बयान दिया है कि 15.09.2013 को वह भैरोगंज रेलवे स्टेशन पर था। उसके साथ नवल किशोर सिंह भी था। पुलिस ने मनमोहन पटेल को पकड़ा। उसके पास से बैगेज का सामान, चार्जर, मोबाइल बरामद हुआ। जब्ती सूची तैयार की गई, जिस पर प्रदर्श-2/डी अंकित था।

26.1. जिरह में उसने कहा है कि *दरोगा जी* ने बैग में रखी सामग्री दिखाई और कहा कि देखो ये सामान हैं। मोबाइल और चार्जर पर नंबर लिखा था। वह उसका ब्रांड नाम नहीं बता सकता। वहां कई और लोग भी थे, वह उनका नाम नहीं बता सकता।

27. राजा कुमार, न्यायालय के गवाह, की धारा 164 सीआर. पी.सी. के तहत गवाही दर्ज की गई है, जिसमें उसने कहा है कि सोहन जिसका नाम मनमोहन भी है, रंजीत को बगहा स्थित अपने घर लाया था। उसे तारीख याद नहीं है, बस इतना याद है कि उन्होंने खाना-पीना किया था। सोहन, रंजीत और शोभा एक कमरे में सोए थे और वह उसके बगल में सोया था। उसके बाद सोहन रंजीत के साथ चला गया। सोहन ने रंजीत को अपना दोस्त बताया और रंजीत ने भी उसे अपना दोस्त बताया। उसके बाद सभी लोग उसके घर से चले गए। उसे इस मामले की कोई जानकारी नहीं है।

अवलोकन एवं तर्क:-

28. हमने विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार किया, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया तथा अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों का पुनः मूल्यांकन किया। वर्तमान मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य का है तथा विचाराधीन घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से यह पता

चलता है कि सूचक सुरेश साह द्वारा दिनांक 01.09.2013 को लगभग 20:40 बजे घटना के संबंध में लिखित शिकायत दी गई थी, जो दिनांक 25.08.2013 को घटित हुई थी। लिखित शिकायत में ही सूचक ने कहा है कि उसका पुत्र रंजीत कुमार यह कहकर घर से निकला था कि वह अपने मित्र की पार्टी में जा रहा है तथा उसके पश्चात दिनांक 26.08.2013 को उसने अपने मोबाइल फोन पर बात की। उन्होंने 27.08.2013 को पुनः बात की तथा बताया कि उनकी तबीयत खराब है तथा वे 28.08.2013 की शाम तक घर आ जाएंगे। हालांकि, इसके बाद 28.08.2013 को दोपहर 02:00 बजे के बाद उनका मोबाइल फोन बंद हो गया। शिकायत में ही स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वे मोबाइल फोन नंबर 9006285020 पर बात करने के बाद पार्टी में गए थे। आगे कहा गया है कि 13 प्रयासों के बाद उन्होंने अपने बेटे के मोबाइल पर संपर्क किया। हालांकि, किसी अन्य व्यक्ति ने फोन उठाया। उक्त व्यक्ति ने जवाब दिया कि उसने उनके बेटे का अपहरण कर लिया है तथा यदि वे अपने बेटे को सुरक्षित वापस पाना चाहते हैं, तो उन्हें 3 लाख रुपये तैयार रखने चाहिए। इसके अलावा लिखित शिकायत में भी विस्तृत जानकारी दी गई है। हालांकि, उक्त लिखित शिकायत से पता चला है कि 25.08.2013 को पीड़ित स्वयं अपने मित्र की पार्टी में शामिल होने के लिए स्वेच्छा से घर से निकला था और वह तीन दिनों से सूचक के संपर्क में था।

29. पीडब्लू-1, जो सूचक का भतीजा है, के बयान से पता चलता है कि उक्त गवाह ने अदालत के समक्ष बयान दिया है कि आरोपी ने फोन करके बताया कि रंजीत के खाते में 20,000/- रुपये जमा किए जाएं और इसलिए उक्त खाते में 20,000/- रुपये जमा किए गए और एटीएम कार्ड के माध्यम से राशि निकाल ली गई। उक्त गवाह ने आगे यह भी बयान दिया है कि अभियुक्तों ने फोन करके सूचक को बजाज एजेंसी के पीछे तीन लालटेन चौक पर बुलाया और जब वे पुलिस के साथ उक्त स्थान पर गए तो बाल कुंवर महतो को पकड़ लिया गया और बाल कुंवर महतो द्वारा दी गई सूचना के आधार पर मनमोहन और राजा को पकड़ लिया गया। मनमोहन ने बताया कि उसने मेडिकल कॉलेज, बीरगंज के पास पीड़ित की हत्या कर दी है। जब वे डीएसपी के साथ बीरगंज गए तो बीरगंज पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने उन्हें पीड़ित की तस्वीर, कपड़े और चप्पल दिखाई और फोटो देखने के बाद उन्हें पता चला कि रंजीत की हत्या कर दी गई है। पीडब्लू-2 (सुशीला देवी), जो पीड़ित की मां है, ने भी बयान दिया है कि उसका बेटा अपने दोस्त की

पार्टी में शामिल होने गया था। उन्होंने आगे कहा है कि अपीलकर्ता/आरोपी बाल कुंवर महतो को तीन लालटेन चौक पर पकड़ा गया था।

30. अभियोक्ता-4 सुरेश साह (सूचक) ने अपने बयान के पैरा 8 में यह बयान दिया है कि बगहा के एटीएम पर ली गई फोटो के आधार पर अपहरणकर्ताओं को पकड़ा गया तथा शोभा देवी, प्रमोद चौधरी और राजा कुमार उर्फ राजा को गिरफ्तार किया गया। हालांकि, जिरह के दौरान उक्त गवाह ने पैरा-12 में यह बयान दिया है कि पहले अपहरणकर्ता ने उसे फोन पर तीन लालटेन चौक पर आने के लिए कहा था। लेकिन, इसके बाद बताया गया कि उक्त स्थान पर भीड़भाड़ है, इसलिए सूचक को सागर पोखरा शिव मंदिर आने के लिए कहा गया। जब सूचक और पुलिस सागर पोखरा गए तो एक बार फिर फोन किया गया और बताया गया कि अब कार्यक्रम रद्द हो गया है और सूचक को भोला बाबू कॉलोनी आने के लिए कहा गया। उन्होंने विशेष रूप से कहा है कि बाल कुंवर महतो को पुलिस ने उक्त स्थान पर पकड़ा था। जिरह के दौरान उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि पुलिस द्वारा एटीएम बूथ से लिए गए सीसीटीवी फुटेज उन्हें नहीं दिखाए गए। उक्त गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दिखाई गई तथा जो मृत्यु प्रमाण पत्र उन्हें दिया गया वह नेपाली भाषा में है।

31. हमने जांच अधिकारी द्वारा दिए गए बयान को भी देखा है। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य से यह पता चलता है कि अपहरण या हत्या की घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। अपीलकर्ता बाल कुंवर महतो को किसी भी तरह की फिरौती के साथ गिरफ्तार नहीं किया गया था, न ही किसी तरह की मांग करते समय गिरफ्तार किया गया था और न ही उस कथित मोबाइल के साथ जिससे मांग की जा रही थी। दरअसल, 12.09.2013 को मामले की जांच करते समय पीडब्लू-11 (विमलेंदु कुमार) द्वारा दिए गए बयान से केस डायरी में दर्ज है कि सूचक ने बताया था कि मनमोहन पटेल उर्फ सोहन पटेल ने उसे मिलने के लिए तीन लालटेन चौक पर बुलाया था और उसके बाद पीडब्लू-11 अपने टीम के सदस्यों के साथ मनमोहन पटेल उर्फ सोहन पटेल का इंतजार करने लगा जो सूचक से पैसे लेने के लिए आने वाला था लेकिन उसने भोला बाबू कॉलोनी निवासी बाल कुंवर महतो को पकड़ लिया। पीडब्लू- 11 ने अपने बयान के पैरा 2 में विशेष रूप से यह बयान दिया है कि उसने आरोपी बाल कुंवर महतो को भोला बाबू चौक पर पकड़ा था जो फिरौती वसूलने आया था। इस प्रकार, अपीलकर्ता बाल कुंवर महतो को जिस स्थान से पकड़ा गया था, उसके संबंध में अलग-अलग संस्करण हैं। वास्तव में, अपीलकर्ता का यह

विशिष्ट मामला है कि वह भोला बाबू कॉलोनी का निवासी है और उसे उसके घर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर पेशाब करते समय पकड़ा गया था। इस प्रकार, केवल संदेह के आधार पर बाल कुंवर महतो की गिरफ्तारी की पूरी संभावना है। वास्तव में, अभियोजन पक्ष अन्य सह-आरोपियों के साथ उसके संबंध को पुख्ता सबूतों के आधार पर स्थापित करने में विफल रहा है। पी.डब्ल्यू.-11 की जिरह के पैरा-10 से पता चलता है कि अपीलकर्ता बाल कुंवर महतो से एक मोबाइल फोन जब्त किया गया था। हालांकि, उसने स्वीकार किया है कि जांच के दौरान उसके द्वारा उक्त मोबाइल का सीडीआर प्राप्त नहीं किया गया था। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि उक्त अपीलकर्ता अन्य आरोपियों के संपर्क में था और उसने सूचक से फिरौती की रकम मांगी थी। बयान से और सबसे महत्वपूर्ण बात पी.डब्ल्यू.-7 (जांच अधिकारी) की जिरह के पैरा-30 से यह पता चलता है कि फिरौती की रकम प्रमोद चौधरी के मोबाइल फोन से मांगी गई थी। हालांकि, इस स्तर पर यह ध्यान रखना उचित है कि सह-आरोपी प्रमोद चौधरी को विचरण न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया है। इस प्रकार, हमारा मानना है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि आरोपी/अपीलकर्ता बाल कुंवर महतो पीड़ित रंजीत कुमार के अपहरण और हत्या के कृत्य में शामिल था।

32. जहां तक अपीलकर्ता राजा कुमार उर्फ राजा का सवाल है, यह ध्यान देने योग्य है कि शुरू में उसे जांच एजेंसी ने गवाह के तौर पर पेश किया था और इसलिए, उसका बयान धारा 164 के तहत दर्ज किया गया। उक्त दस्तावेज को प्रदर्श-4 के तौर पर चिह्नित किया गया है। उक्त बयान में उसने कहा है कि उसकी उम्र करीब 17 साल है और उसने कहा है कि मनमोहन पटेल उर्फ सोहन पटेल रविवार को रंजीत के साथ उसके घर आया था, उसने खाना खाया और उसके बाद मनमोहन पटेल उर्फ सोहन पटेल, रंजीत और शोभा देवी एक ही कमरे में सोए थे और अगली सुबह वे वापस आ गए। उसने आगे कहा है कि मनमोहन पटेल उर्फ सोहन पटेल ने रंजीत को अपना दोस्त बताया था और वास्तव में उसने स्पष्ट तौर पर कहा है कि उसे रंजीत के अपहरण के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अभिलेख से यह भी पता चलता है कि इसके बाद सह-अभियुक्त के इकबालिया बयान के आधार पर राजा कुमार उर्फ राजा को गिरफ्तार किया गया और उसका इकबालिया बयान भी दर्ज किया गया। अभियोजन पक्ष का यह मामला है कि मृतक की हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू उक्त अभियुक्त राजा कुमार उर्फ राजा की निशानदेही पर बरामद किया गया है और यह एक कृषि क्षेत्र से बरामद किया गया है जो खुला है और सभी के

लिए सुलभ है। इस स्तर पर यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि उक्त चाकू को एफ.एस.एल. द्वारा वैज्ञानिक परीक्षण के लिए नहीं भेजा गया था और न ही उक्त चाकू पर खून के धब्बे के संबंध में कोई संदर्भ है।

33. इस स्तर पर यह देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष मृतक की *पोस्टमार्टम* रिपोर्ट पेश करने में विफल रहा है। *पोस्टमार्टम* करने वाले डॉक्टर से भी पूछताछ नहीं की गई। ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी मनमोहन पटेल के इकबालिया बयान के आधार पर पुलिस सूचक के साथ नेपाल के बीरगंज थाने गई, जहां पीड़ित की तस्वीर दिखाई गई और पीड़ित के कुछ सामान नेपाल के बीरगंज थाने के पुलिस अधिकारी द्वारा सूचक और जांच अधिकारी को दिखाए गए और सूचक ने स्वीकार किया है कि उक्त थाने द्वारा दिया गया मृत्यु प्रमाण पत्र भी नेपाली भाषा में था। उक्त दस्तावेज भी पेश नहीं किया गया। इस प्रकार तथ्य यह है कि पीड़ित रंजीत कुमार की मृत्यु के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है। यदि यह मान भी लिया जाए कि पीड़ित रंजीत कुमार की मृत्यु हो गई, तो भी पीड़ित की मृत्यु का कारण क्या था, यह पता नहीं चल पाया है। मृतक को लगी चोट के बारे में भी पता नहीं है, इसलिए केवल इसलिए कि चाकू अभियुक्त के कहने पर बरामद किया गया है, यह नहीं कहा जा सकता कि रंजीत कुमार की मौत उक्त चाकू से हुई है, जो अपीलकर्ता राजा कुमार के कहने पर बरामद किया गया था। इसके अलावा, उक्त चाकू एक कृषि क्षेत्र से बरामद किया गया था, जो खुला और सभी के लिए सुलभ है। उक्त चाकू को आवश्यक विश्लेषण के लिए एफ.एस.एल. को नहीं भेजा गया था। इस प्रकार, हमारा मानना है कि केवल इसलिए कि चाकू अपीलकर्ता राजा कुमार के कहने पर बरामद किया गया था, यह नहीं माना जा सकता कि मृतक रंजीत कुमार की हत्या में उक्त चाकू का इस्तेमाल किसी अन्य सामग्री के अभाव में किया गया था। इस प्रकार, हमारा मानना है कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता राजा कुमार के खिलाफ उचित संदेह से परे मामला साबित करने में विफल रहा है।

34. जहाँ तक अपीलकर्ता शोभा देवी का सवाल है, यह पता चला है कि वह सह-आरोपी मनमोहन पटेल उर्फ सोहन पटेल की पत्नी है, जिसकी मुकदमे के दौरान मृत्यु हो गई थी। हालाँकि, रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जो यह बताए कि शोभा देवी ने पीड़िता का अपहरण किया है और शोभा देवी ने सूचक या किसी अन्य अभियोजन पक्ष के गवाह को फोन करके फिरौती की रकम माँगी है। ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक के मोबाइल के सिम सहित कुछ सामान सह-आरोपी मनमोहन पटेल उर्फ सोहन पटेल से जब्त

किया गया है। हालाँकि, इसके आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि अपीलकर्ता शोभा देवी पीड़िता के अपहरण और हत्या के कृत्य में शामिल है। हमारा मानना है कि अभियोजन पक्ष परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा करने में विफल रहा है जिससे यह स्थापित किया जा सके कि वर्तमान अपीलकर्ताओं ने कथित अपराध किए हैं।

35. इस स्तर पर, हम **राजा नायकर (ऊपर)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का संदर्भ देना चाहेंगे, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 8 और 17 में निम्नानुसार टिप्पणी की है:-

"8. मुकदमे के समापन पर, ट्रायल जज ने पाया कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि अपीलकर्ता ने मृतक की हत्या की थी। अभियोजन पक्ष ने यह भी साबित किया कि अभियुक्तों ने साक्ष्य नष्ट करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र किया और मृतक के शव को बाबा बालक नाथ मंदिर के पीछे जलाकर फेंक दिया। अभियोजन पक्ष ने यह भी साबित किया कि अभियुक्त 2 ने मृतक के शव को फेंकने और मृतक के खून के धब्बे आदि को साफ करके साक्ष्य नष्ट करने में मदद की।

17. इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष के लिए यह आवश्यक है कि जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए। न्यायालय का मानना है कि यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि अभियुक्त को दोषी साबित किया जाना चाहिए, न कि केवल "दोषी सिद्ध किया जा सकता है" इससे पहले कि न्यायालय अभियुक्त को दोषी ठहराए। यह माना गया है कि "साबित किया जा सकता है" और "साबित किया जाना चाहिए या सिद्ध किया जाना चाहिए" के बीच न केवल व्याकरणिक बल्कि कानूनी अंतर है। यह माना गया है कि इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात्, उन्हें अभियुक्त के दोषी होने के अलावा किसी अन्य परिकल्पना पर व्याख्यायित नहीं किया जाना चाहिए। यह भी माना गया है कि परिस्थितियाँ ऐसी होनी चाहिए कि वे साबित की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को बाहर कर दें। यह माना गया है कि साक्ष्य की एक श्रृंखला इतनी पूरी होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषता के

अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न बचे और यह दर्शाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कार्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।"

36. मुस्तकीम उर्फ सिराजुद्दीन(ऊपर) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 23, 24 और 25 में निम्न प्रकार से टिप्पणी की है:-

"23. कानून में यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जहां मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, वहां दोष का अनुमान तभी उचित ठहराया जा सकता है जब सभी तथ्य और परिस्थितियां आरोपी की निर्दोषता या किसी अन्य व्यक्ति के अपराध के साथ असंगत पाई जाती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोषसिद्धि केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो सकती है, लेकिन इसका निर्णय परिस्थितिजन्य साक्ष्य से संबंधित कानून की कसौटी पर किया जाना चाहिए, जिसे इस न्यायालय द्वारा कानून द्वारा अच्छी तरह से स्थापित किया गया है।

24. इस न्यायालय के सबसे प्रसिद्ध मामले शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य [(1984) 4 एससीसी 116: 1984 एससीसी (क्रि) 487] के पैरा 153 में परिस्थितिजन्य साक्ष्य की सराहना के संबंध में कुछ प्रमुख सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। जब भी मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होता है तो निम्नलिखित विशेषताओं का अनुपालन करना आवश्यक होता है। एक बार फिर से उन्हीं मुख्य विशेषताओं को दोहराना लाभदायक होगा जो इस प्रकार हैं: (एससीसी पृष्ठ 185)

"(i) जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए या होना चाहिए, न कि केवल 'हो सकता है';

(ii) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात्, उन्हें अभियुक्त के दोषी होने के अलावा किसी अन्य परिकल्पना पर व्याख्यायित नहीं किया जाना चाहिए;

(iii) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए;

(iv) उन्हें साबित की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को बाहर करना चाहिए; और

(v) साक्ष्य की एक श्रृंखला इतनी पूरी होनी चाहिए कि निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न बचे जो अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप हो और यह दर्शाए कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कृत्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।

25. अधिनियम की धारा 27 के संबंध में, अभियुक्त के प्रकटीकरण पर भौतिक वस्तु की खोज महत्वपूर्ण है, लेकिन अकेले ऐसे प्रकटीकरण से यह निष्कर्ष नहीं निकलेगा कि अपराध भी अभियुक्त द्वारा ही किया गया था। वास्तव में, इसके बाद, भौतिक वस्तु की खोज और अपराध के कमीशन में इसके उपयोग के बीच एक करीबी संबंध स्थापित करने का दायित्व अभियोजन पक्ष पर है। अधिनियम की धारा 27 के तहत जो स्वीकार्य है वह खोज की ओर ले जाने वाली जानकारी है, न कि अभियोजन पक्ष द्वारा उस पर बनाई गई कोई राय।”

37. लक्ष्मण प्रसाद (ऊपर) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 2, 3 और 4 में निम्नानुसार अवलोकन किया है:-

“2. वर्तमान मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है। अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता के कहने पर श्रृंखला की तीन कड़ियाँ स्थापित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किए: (i) मकसद, (ii) अंतिम बार देखा गया, और (iii) हमले के हथियार की बरामदगी। उच्च न्यायालय, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों पर विचार करते हुए, मकसद और अंतिम बार देखे गए निष्कर्ष से सहमत था, हालाँकि, जहाँ तक हमले के हथियार और खून से सने कपड़ों की बरामदगी का सवाल था, उच्च न्यायालय ने निर्णय के पैरा 18 में इसे अमान्य माना और यह भी कहा कि जो बरामदगी की गई है, वह यह संकेत नहीं देती कि अपीलकर्ता ने अपराध किया है। फिर भी, इसने पाया कि अपीलकर्ता के खिलाफ अंतिम बार देखे जाने और मकसद के पूरे पहलू और अन्य निर्णायक साक्ष्यों को देखते हुए, दोषसिद्धि की पुष्टि की गई।

3. हमें उच्च न्यायालय का ऐसा निष्कर्ष कानून के अनुसार नहीं लगता। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, श्रृंखला सभी मामलों में पूरी होनी चाहिए

ताकि अभियुक्त के अपराध को इंगित किया जा सके और अपराध के किसी अन्य सिद्धांत को भी बाहर रखा जा सके। उपरोक्त बिंदु पर कानून अच्छी तरह से स्थापित है। निम्नलिखित मामलों का संदर्भ लिया जा सकता है:

(i) शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य [शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1984) 4 एससीसी 116: 1984 एससीसी (क्रि) 487];

(ii) शैलेंद्र राजदेव पासवान बनाम गुजरात राज्य [शैलेंद्र राजदेव पासवान बनाम गुजरात राज्य, (2020) 14 एससीसी 750: (2020) 4 एससीसी (क्रि) 856: एआईआर 2020 एससी 180]।

4. इस प्रकार, यदि उच्च न्यायालय ने पाया कि लिंक में से एक गायब है और इस बिंदु पर स्थापित कानून के मद्देनजर साबित नहीं हुआ है, तो दोषसिद्धि में हस्तक्षेप किया जाना चाहिए था।”

38. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णयों से यह कहा जा सकता है कि जब भी मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होता है, तो कुछ विशेषताओं का अनुपालन किया जाना आवश्यक होता है, अर्थात् जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाता है, उन्हें ‘होना चाहिए’ या ‘होना चाहिए’ न कि केवल ‘हो सकता है’ पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए। स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात् उन्हें किसी अन्य परिकल्पना के आधार पर नहीं समझाया जा सकता है, सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है। इसके अलावा, साक्ष्यों की एक पूरी श्रृंखला होनी चाहिए, ताकि अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न बचे और यह दिखाया जाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।

39. बाबू साहेबगौड़ा रुद्रगौदर(ऊपर) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 61, 62, 63 और 67 में निम्नानुसार माना है:-

“61. साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत एक पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया अभियुक्त का बयान मूल रूप से पूछताछ के दौरान जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए अभियुक्त के कबूलनामे का ज्ञापन है जिसे लिखित रूप में लिया गया है। ऐसे बयान का इकबालिया हिस्सा अस्वीकार्य है और केवल वह हिस्सा जो स्पष्ट रूप से तथ्य की खोज की ओर

ले जाता है, साक्ष्य में स्वीकार्य है जैसा कि इस न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमन उपाध्याय [उत्तर प्रदेश राज्य] में निर्धारित किया गया है।
वी. देवमन उपाध्याय, 1960 एससीसी ऑनलाइन एससी 8: एआईआर 1960 एससी 1125]।

62. इस प्रकार, जब जांच अधिकारी ऐसे प्रकटीकरण कथन को साबित करने के लिए गवाह के कठघरे में आता है, तो उसे यह बताना होगा कि आरोपी ने उससे क्या कहा। जांच अधिकारी अनिवार्य रूप से अपने और आरोपी के बीच हुई बातचीत के बारे में गवाही देता है जिसे लिखित रूप में दर्ज किया गया है जिससे अपराध सिद्ध करने वाले तथ्य(तथ्यों) की खोज होती है।

63. साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 के अनुसार, सभी मामलों में मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। यह धारा कोई अस्पष्टता नहीं छोड़ती है और यह अनिवार्य करती है कि मौखिक साक्ष्य के मामले में कोई द्वितीयक/सुना हुआ साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है, सिवाय धारा में उल्लिखित परिस्थितियों के। ऐसे व्यक्ति के मामले में जो यह दावा करता है कि उसने कोई तथ्य सुना है, उसके संबंध में केवल उसका साक्ष्य दिया जाना चाहिए।

67. इसी तरह का विचार इस न्यायालय ने रामानंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [रामानंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2023) 16 एससीसी 510: 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1396] में लिया था, जिसमें इस न्यायालय ने माना था कि जांच के दौरान जांच अधिकारी द्वारा तैयार किए गए ज्ञापन को प्रदर्शित करना ही उसकी विषय-वस्तु के सबूत के बराबर नहीं हो सकता। शपथ पर गवाही देते समय, जांच अधिकारी को उन घटनाओं का क्रम बताना होगा जो प्रकटीकरण कथन की रिकॉर्डिंग के लिए जिम्मेदार थीं।”

40. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई उपरोक्त टिप्पणी से यह कहा जा सकता है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया अभियुक्त का बयान मूलतः जांच अधिकारी द्वारा पूछताछ के दौरान दर्ज किया गया अभियुक्त का इकबालिया बयान है जिसे लिखित रूप में दर्ज किया गया है। ऐसे बयान का इकबालिया हिस्सा अस्वीकार्य है और केवल वही हिस्सा साक्ष्य में स्वीकार्य है जो स्पष्ट

रूप से तथ्य की खोज की ओर ले जाता है। इसलिए, जब जांच अधिकारी ऐसे खुलासे वाले बयान को साबित करने के लिए गवाह के कटघरे में आता है, तो उसे अभियुक्त द्वारा बताई गई बातों को बयान करना होगा, जिससे जांच अधिकारी अनिवार्य रूप से अपने और अभियुक्त के बीच हुई बातचीत के बारे में गवाही देता है जिसे लिखित रूप में दर्ज किया गया है जिससे अपराध सिद्ध करने वाले तथ्य की खोज हुई है।

40.1. इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **मुस्तकीम (ऊपर)** में दिए गए निर्णय से यह कहा जा सकता है कि महत्वपूर्ण बात यह है कि अभियुक्त के खुलासे पर भौतिक वस्तु की खोज की गई है। हालांकि, केवल इस तरह के खुलासे से यह निष्कर्ष नहीं निकला कि अपराध भी अभियुक्त द्वारा ही किया गया था। वास्तव में, इसके बाद अभियोजन पक्ष पर भौतिक वस्तुओं की खोज और अपराध के करीत करने में इसके उपयोग के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करने का दायित्व है।

41. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, यदि ऊपर वर्णित साक्ष्य की पुनः जांच की जाए, तो हमारा मानना है कि जब अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि पीड़ित रंजीत की मृत्यु हत्या के कारण हुई है और पीड़ित को लगी चोट की प्रकृति तथा मृत्यु का कारण भी स्पष्ट नहीं है, तो यह बात अप्रासंगिक है कि चाकू अभियुक्त/अपीलकर्ता राजा कुमार @ राला की निशानदेही पर बरामद किया गया है। केवल इसलिए कि चाकू उसकी निशानदेही पर बरामद किया गया है, यह नहीं माना जा सकता कि उक्त चाकू का इस्तेमाल पीड़ित रंजीत कुमार की हत्या के लिए किया गया है।

42. इस प्रकार, हमारा मानना है कि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि पीड़ित का वर्तमान अपीलकर्ताओं द्वारा अपहरण किया गया है। अभियोजन पक्ष ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। इसलिए यह साबित करने में विफल रहा कि अपीलकर्ताओं ने पीड़ित रंजीत कुमार की हत्या की है। अपीलकर्ताओं को विचाराधीन घटना से जोड़ने वाली कड़ी गायब है और अभियोजन पक्ष परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा करने में विफल रहा है जिससे यह स्थापित किया जा सके कि वर्तमान अपीलकर्ताओं ने कथित अपराध किए होंगे।

43. वर्तमान मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हमारा विचार है कि विचरण न्यायालय ने विवादित निर्णय और आदेश पारित करते समय गलती की है और इसलिए इसे रद्द करने और दरकिनार करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:-

44. तदनुसार, बेतिया टाउन पी.एस. केस संख्या 572/2013 (जी.आर. संख्या 3979/2013) से उत्पन्न सत्र परीक्षण संख्या 59/2014 में विद्वान 6वें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम चंपारण द्वारा बेतिया में दिनांक 06.03.2017 को पारित दोषसिद्धि का उभयनिष्ठ निर्णय तथा दिनांक 16.03.2017 को पारित सजा का आदेश निरस्त किया जाता है तथा अपास्त किया जाता है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलकर्ताओं को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से बरी किया जाता है।

45. अपीलकर्ता राजा कुमार उर्फ राजा (आपराधिक अपील (डी.बी.) संख्या 855/2017 में) जमानत पर है। उसे उसके जमानत बांड के दायित्वों से मुक्त किया जाता है।

46. अपीलकर्ता शोभा देवी (आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 708/2017) और बाल कुंवर महतो (आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 808/2017) को तत्काल जेल हिरासत से रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, यदि किसी अन्य मामले में उनकी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है।

47. सभी अपील स्वीकार की जाती हैं।

48. अपील से अलग होने से पहले, हम श्री कृष्ण कांत पांडे, विद्वान एमिकस क्यूरी द्वारा प्रदान की गई सक्षम सहायता के लिए अपनी प्रशंसा दर्ज करते हैं।

49. पटना उच्च न्यायालय, विधिक सेवा प्राधिकार को निर्देश दिया जाता है कि वह आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 708 ऑफ 2017 में विद्वान न्यायमित्र श्री कृष्ण कांत पांडे को उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए समेकित शुल्क के रूप में ₹ 3,000 (तीन हजार रुपये) का भुगतान करें।

(श्री विपुल एम. पंचोली, न्यायमूर्ति)

(श्री आलोक कुमार पांडे, न्यायमूर्ति)

सचिन/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।